तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नरेश सैनी बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति संभागीय आयुक्त), जयपुर** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025 / 1220**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.06.2025	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी क्रमांक 11(01)भू.अ. / जग्रा / सामान्य / 2024 / ई–05433 / 185 दिनांक 06.06.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्थान सरकार राजस्व ग्रप–6 विभाग द्वारा जारी भूमि आवंटन, रूपान्तरण एवं अतिक्रमण नियमन की महत्वपूर्ण अधिसूचना, परिपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है। आवेदक द्वारा किसी विशिष्ठ अधिसूचना / परिपत्र का उल्लेख नहीं किये जाने के कारण उक्त सूचना दी जानी संभव नहीं है। अतः अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्थान सरकार राजस्व ग्रप–6 विभाग द्वारा जारी भूमि आवंटन, रूपान्तरण एवं अतिक्रमण नियमन की महत्वपूर्ण अधिसूचना, परिपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है। आवेदक द्वारा किसी विशिष्ठ अधिसूचना / परिपत्र का उल्लेख नहीं किये जाने के कारण उक्त सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट होने के कारण अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर	